छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 2003

अधिसूचना क्रम सं0 2478/एस0एल0एस0ए0/03 दिनांकित 27 दिसंबर 2003[1] – विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का सं0 39) की धारा 29–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कथित अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (4) द्वारा यथापेक्षित मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्ष से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

अध्याय ।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ– (1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 2003 कहलायेंगे।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाषन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं– इन विनियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा नहीं अपेक्षा करता हो तब तक–

(क) "अधिनियम" विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं0 39) से अभिप्रेत है,

(ख) "सहायता प्राप्त व्यक्ति" उस एक व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के उपबन्धों तथा नियमों तथा इन विनियमों के अनुसार प्रदान की जाती है,

(ग) "अध्यक्ष" उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष, या यथास्थिति जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष से अभिप्रेत है,

(घ) "मुख्य न्यायमूर्ति" छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से अभिप्रेत है,

(ड.) "समिति" अधिनियम की धारा 8–क के अधीन स्थापित की गयी उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से अभिप्रेत है,

(च) "जिला प्राधिकरण" अधिनियम की धारा 9 के अधीन स्थापित की गयी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अभिप्रेत है,

(छ) "कार्यपालक अध्यक्ष" अधिनियम की धारा 6 के अधीन स्थापित की गयी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष से अभिप्रेत है,

(ज) "उच्च न्यायालय" छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है,

(झ) पद "विधि व्यवसायी" का वही अर्थ होगा जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में इसको समनुर्देषित किया गया है,

(अ) "विधिक सेवा" के अन्तर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या किसी मामले के संचालन में किसी भी सेवा को प्रदान करना तथा किसी विधिक मामले पर सलाह देना आता है,

(ट) "विधिक सेवा अधिवक्ता" उस अधिवक्ता से अभिप्रेत है जिसको विधिक सेवा से सम्बन्धित कोई कार्य समनुदेषित किया गया है,

(ठ) "विधिक सेवा काउन्सल सह सलाहकार" समिति द्वारा या यथास्थिति, जिला प्राधिकरण द्वारा, विधिक सेवा काउन्सल सह सलाहकार के रूप में नियुक्त किये गये अधिवक्ता से अभिप्रेत है,

(ड) "सदस्य" उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के एक सदस्य या, यथास्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य अभिप्रेत हैं,

(ढ) "नियम" छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002 के नियम से अभिप्रेत है,

(ण) "सचिव" अधिनियम की धारा 8–क के अधीन स्थापित की गयी उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव, या यथास्थिति, अधिनियम की धारा 9 के अधीन स्थापित किये गये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अभिप्रेत है,

(त) "राज्य प्राधिकरण" अधिनियम की धारा 6 के अधीन स्थापित किये गये विधिक सेवा प्राधिकरण से अभिप्रेत है,

(थ) "धारा" विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा से अभिप्रेत है,

(द) "राज्य सरकार" छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार से अभिप्रेत है,

(ध) इन अधिनियमों में प्रयोग किये गये लेकिन परिभाषित न किये गये शब्दों एवं पदों का अर्थ वही होगा जो उन्हें क्रमषः अधिनियम में दिया गया है,

अध्याय ।।

कार्यपालक प्राधिकार का निहित होना

3. कार्यपालक प्राधिकार का निहित होना– राज्य प्राधिकरण का कार्यपालक प्राधिकार, कार्यपालक अध्यक्ष में निहित होगा और उसका उस सदस्य सचिव के माध्यम से प्रयोग किया जा सकेगा जो कार्यपालक अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा,

परन्तु यह तब जबकि ग्रहण किये जाने वाले किसी विनिष्चय की बाबत् मुख्य संरक्षक ऐसी सलाह दे सकेगा जिसे आवष्यक समझा जाता है।

जिला प्राधिकरण का कार्यपालक प्राधिकार इसके अध्यक्ष में निहित होगा और उसका उस सचिव के माध्यम से प्रयोग किया जा सकेगा जो अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

तालुक समिति का कार्यपालक प्राधिकार इसके अध्यक्ष में निहित होगा और उसका प्रयोग या तो स्वयं उसके द्वारा या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जिसको प्रयोजनार्थ चुना जाता है।

अध्याय ।।–क

3-क. मुख्य संरक्षक की शक्ति एवं कृत्य–(1) मुख्य संरक्षक का राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समिति के समस्त कार्य करने पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण होगा।

(2) मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव, यथा स्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सचिव से किसी भी समय आव्हान कर सकेगा और समय समय पर स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे अनुदेष दे सकेगा।

(3) मुख्य संरक्षक विधिक सेवा कार्यक्रम तथा अधिनियम की स्कीमों को प्रोन्नत बनाने के लिए तथा परिप्रेक्ष्य रीति से कार्यान्वित करने के लिए संपूर्ण राज्य का दौरा कर सकेगा, दौरा एवं अन्य कार्यक्रमों के बाबत् मुख्य संरक्षक द्वारा उपगत किये गये खर्च छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की निधियों द्वारा पूरा किया जायेगा।

3-ख. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठकें–(1) राज्य प्राधिकरण की बैठक प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक द्वारा या कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये स्थान, तारीख एवं समय पर तीन माह में कम से कम एक बार होगी।

(2) राज्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता मुख्य संरक्षक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और राज्य प्राधिकरण के बैठक की गणपूर्ति नौ होगी और कोई गणपूर्ति स्थगित की गयी बैठक के लिए आवष्यक नहीं होगी।

(3) कार्यसूची की सम्पूर्ण विषय–वस्तु का विनिष्चय हाजिर सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा बैठक में किया जायेगा और मतों की समान संख्या होने के मामले में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।

(4) प्राधिकरण के कोई दस सदस्य उसमें विनिर्दिष्ट किये गये विषयों या मामलों पर विचार करने के लिए प्राधिकरण की बैठक बुलाने के लिए सदस्य सचिव को सम्बोधित किये गये लिखित रूप में अध्यापेक्षा दे सकेगा। ऐसी अध्यापेक्षा को प्राप्त करने पर सदस्य सचिव मुख्य संरक्षक के आदेषों को प्राप्त करने के पष्चात् अध्यापेक्षा में विनिर्दिष्ट विषयों या मामलों पर विचार करने के लिए ऐसी अध्यापेक्षा की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अन्दर प्राधिकरण की एक बैठक बुलायेगा।

(5) राज्य प्राधिकरण की बैठक किसी विषय या मामले पर विचार करने की इच्छा करने वाले राज्य प्राधिकरण का कोई भी सदस्य, सदस्य सचिव को ऐसे विषय या मामले की लिखित रूप में सूचना देगा। यदि ऐसी सूचना बैठक की नोटिस के जारी किये जाने के पूर्व प्राप्त की जाती है तो विषय या मामला यदि मुख्य संरक्षक द्वारा ऐसा निर्देषित किया जावे तो बैठक की कार्य सूची में सम्मिलित किया जायेगा। यदि ऐसी सूचना नोटिस के जारी किये जाने के पष्चात् प्राप्त की जाती है तो विषय या मामला पर बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की अनुज्ञा से बैठक में विचार किया जावेगा।

(6) राज्य प्राधिकरण का सदस्य सचिव राज्य प्राधिकरण बैठक की कार्यसूची तैयार करेगा और कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक की पूर्व स्वीकृति से कार्यसूची का अन्तिम रूप से अनुमोदन कर देगा। राज्य प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की सूचना बैठक की तारीख के कम से कम 7 दिन पहले सदस्यों को सदस्य सचिव द्वारा लिखित रूप में दी जायेगी।

(7) बैठक की कार्यसूची सूचना के साथ सदस्यों को भेजी जायेगी।

(8) सदस्य सचिव राज्य प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत को लेखबद्ध करेगा और इसका मुख्य संरक्षक द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने के पष्चात् यथासंभव शीघ्रता से भेजेगा लेकिन अगली बैठक की नोटिस भेजने की तारीख के बाद नहीं।

(9) कार्यवृत बैठक में लिये गये निर्णय तथा पारित किये गये संकल्पों के एक अभिलेख को अन्तर्विष्ट करेगा और बैठक में चर्चा के भाग की साधारण तौर पर रचना नहीं करेगा जब तक बैठक का मुख्य संरक्षक या अध्यक्ष इस प्रकार निर्देष नहीं देता है। कार्यवृत राज्य प्राधिकरण के कार्यालय में उस प्रयोजनार्थ रखे गये एक पृथक रजिस्टर में अभिलिखित किया जायेगा।

(10) कार्यवृत राज्य प्राधिकरण की अगली बैठक में पढ़कर सुनाया जायेगा और कोई सुझाव जो राज्य प्राधिकरण के किसी सदस्य द्वारा दिया जा सकेगा जिस पर विचार किया जा सकेगा।

(11) सदस्य सचिव राज्य प्राधिकरण की अगली बैठक के प्रारम्भ पर पूर्व बैठक में लिये गये विनिष्चय पर की गयी कार्यवाही की सूचना सदस्यों को देगा।

(12) बैठक में हाजिर सदस्यों का हस्ताक्षर प्रयोजनार्थ रखे गये एक रजिस्टर में प्राप्त किया जायेगा।

(13) सदस्य सचिव राज्य प्राधिकरण तथा समिति के सभी सदस्यों तथा उन अन्य सदस्यों को यात्रा भत्ता बिलों को पारित कर सकेगा जो राज्य प्राधिकरण के कार्यक्रमों में हाजिर हुए हैं।

(14) राज्य प्राधिकरण ऐसी बैठकों के खर्चों को पूरा करेगा।

3-ग राज्य प्राधिकरण के सदस्यों को संदेय भत्ते–(1) बैठक में हाजिर होने वाले के लिए राज्य प्राधिकरण के या उसकी किसी समिति के अषासकीय सदस्यों को संदेय बैठक फीस वही होगी जो मुख्य संरक्षक के अनुमोदन के साथ कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा नियत किया जा सके।

(2) राज्य प्राधिकरण या उसकी किसी समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए मुख्य संरक्षक तथा कार्यपालक अध्यक्ष को कोई भी भत्ता संदेय नहीं होगा।

अध्याय III

राज्य प्राधिकरण

4. अन्य कार्यों का राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना– अधिनियम की धारा 7(1) एवं 7(2) (क) (ख) (ग) द्वारा अधिलिखित राज्य प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कृत्यों के अलावा, राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य भी कर सकेगी–

(1) राज्य प्राधिकरण राज्य में संचालित की गयी विधिक सहायता स्कीमों के बारे में जानकारी को पारेषित करने की दृष्टि से या जनजातीय एवं ग्रामीण जनसंख्या, स्त्रियॉ, बालकों, निर्योग्य विकलांग एवं समाज के कमजोर वर्गों के विषेष निर्देष के साथ नागरिकों के विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में भानता या जागरूकता फैलाने की दृष्टि से राज्य के विभिन्न भागों में विधिक साक्षरता षिविर का संचालन कर सकेगा।

(2) राज्य प्राधिकरण विधि महाविद्यालयों, विष्वविद्यालयों एवं अन्य सेवा संगठन के सहयोग से राज्य के विभिन्न भागों में विधिक सहायता क्लीनिकों का संचालन कर सकेगा।

(3) राज्य प्राधिकरण पक्षकारों के बीच विधिक विवादों का संकल्प लेने के लिए स्थायी या अर्ध स्थायी अधोसंरचना प्रदान करने की दृष्टि से राज्य में अनेक केन्द्रों में सुलह समितियों को स्थापित कर सकेगा या उन्हें स्थापित करने के लिए जिला प्राधिकरण को निर्देष दे सकेगा चाहे वे न्यायालय में लम्बित हो या निकट भविष्य में संभावित हो। ऐसी समितियों को स्थापित करने के लिए यह राज्य प्राधिकरण/जिला प्राधिकरण के लिए

खुला होगा कि वह ऐसे सामाजिक सेवा संगठनों की सक्रिय सहायता/समर्थन ग्रहण करे जो विधिक–सहायता कार्य के लिए उत्साह रखते हैं।

(4) मामलों का वहां पुनर्विलोकन हो सकेगा जहां विधिक सेवाएं जिला प्राधिकरण द्वारा नामंजूर कर दी गई हों।

अध्याय IV

1. साधारण

5. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव एवं अर्हताएं– (1) समिति में 5 से अनधिक सदस्य होंगे।

(2) निम्नलिखित समिति के पदेन सदस्य होंगे :–

(i) अध्यक्ष, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, बिलासपुर।

(ii) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक)

(3) मुख्य न्यायमूर्ति उप–विनियम (4) में विनिर्दिष्ट अनुभव एवं अर्हताएं रखने वालों के मध्य से 2 से अनधिक सदस्यों को नामनिर्देषित कर सकेगा।

(4) कोई व्यक्ति समिति के एक सदस्य के रूप में नाम निर्देषन हेतु अर्ह नहीं होगा जब तक वह नहीं होता है–

(क) एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता,

(ख) विधि के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति,

6. समिति के सदस्यों की पदावधि तथा उससे सम्बन्धित अन्य शर्तें– (1) पदेन सदस्य से भिन्न समिति के एक सदस्य की पदावधि दो वर्ष होगी–

परंतु यह तब जबकि एक सदस्य एक और अवधि के लिए पुनः नामांकन का पात्र होगा।

2 (i) विनियम के उप–विनियम (3) के अधीन नाम निर्देषित किये गये समिति के किसी भी सदस्य को मुख्य न्यायमूर्ति हटा सकेगा जो–

(क) समिति की तीन क्रमवार बैठकों में हाजिर होने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है, या

(ख) एक दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया जा चुका है, या

(ग) उस एक अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है जो मुख्य न्यायमूर्ति की राय में नैतिक अधमता को अन्तर्ग्रस्त करता है, या

(घ) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है,

(ड.) अपनी स्थिति का दुरूपयोग किया है कि लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए समिति में उसकी निरंतरता बनी रहे।

(ii) खण्ड (i) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी चिकित्सा अधिकारी को उस खण्ड के उपखण्ड (ड.) में विनिर्दिष्ट आधार पर समिति से हटा दिया जायेगा जब तक अध्यक्ष, समिति द्वारा इस निमित उसकी एक निर्देष दिये जाने के कारण ऐसी प्रक्रिया के अनुसार उसके द्वारा की गयी एक जॉच पर जिसे उसे विनिर्दिष्ट किया जा सके, यह सिफारिष कर चुका है कि सदस्यों को ऐसे आधार पर हटा दिया जाना चाहिए,

(iii) कोई भी सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित किये गये उसके हस्ताक्षर के अधीन लिखकर के समिति से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावकारी होगा जिस पर इसको अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(3) समिति के सदस्य के पद में किसी भी रिक्ति को उसी रीति से भरा जायेगा जैसे नाम निर्देषन के लिए उपलब्ध किया गया हो और इस प्रकार नाम निर्देषित किया गया व्यक्ति सदस्य की अवषिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसको नाम निर्देषित किया जाता है।

(4) (क) विनियमन 5 के उप–विनियमन (3) के अधीन नाम–निर्देषित किये गये सभी सदस्य समिति की कार्य के संगत की गयी यात्रा की बाबत यात्रा भत्तों एवं दैनिक भत्ते के हकदार होंगे और उन्हें राज्य सरकार के श्रेणी "ए" के अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार संदाय किया जायेगा।

(ख) सभी सदस्य अवैतनिक रूप में कार्य करेंगे।

(5) विनियमन 5 के उप–विनियम (2) के अधीन अच्छादित किये गये सभी सदस्यगण जो सरकारी अधिकारीगण सेवा करने वाले होते हैं, उन पर लागू नियमों के उपबन्धों के अनुसार समिति के कार्य के संगत की गयी यात्रा की बाबत यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते के भुगतान के

हकदार होंगे तथा उन्हें उस कार्यालय से संदाय किया जावेगा जहां से सम्बन्धित सदस्य अपना वेतन एवं भत्ते प्राप्त कर रहे होंगे और इस लेखे पर खर्चे का विकलन उस शीर्ष बजट में कर दिया जायेगा जिसमें उसके वेतन एवं भत्ते का विकलन किया जायेगा।

7. समिति की शक्तियाँ एवं कार्य– (क) समिति की शक्तियां एवं कार्य विधिक सेवा कार्यक्रमों पर प्रभासित करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने वाले होंगे जहां तक इसका सम्बन्ध उच्च न्यायालय से होता है और इस प्रयोजनार्थ, ऐसी सभी कार्यवाहियां करे जो आवष्यक हो और समय–समय पर केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देषों के अनुसार कार्य करना–

(ख) ऐसे निबन्धों एवं शर्तों पर विधिक सेवाओं की मंजूरी या वापसी के बारे में विधिक सेवाओं के लिए आवेदन पत्रों को प्राप्त करना तथा उनकी संवीक्षा करना जिनका समय–समय पर समिति द्वारा अधिकथन किया जाय।

(ग) विधिक सेवा प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का पैनल बनाये रखना।

(घ) उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की विधिक सेवाओं के मानदेय, लागतों, प्रभारों एवं खर्चों के भुगतान से सम्बन्धित सभी मामलों का विनिष्चय करना।

(ड.) विधिक सेवा कार्यक्रमों के बारे में विवरणी, रिपोर्टों एवं सांख्यिकी सूचना तैयार करना तथा उन्हें राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करना।

8. अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्य– (1) समिति का अध्यक्ष समिति के कार्यक्रमों के प्रषासन एवं कार्यान्वयन का सम्पूर्ण प्रभारी होगा।

(2) अध्यक्ष तीन महीनों की एक कालावधि में कम से कम एक बार सचिव के माध्यम से समिति की बैठक बुलायेगा।

(3) अध्यक्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) अध्यक्ष के पास समिति की सभी अवषिष्ट शक्तियाँ होगी।

9. समिति के सचिव की पदावधि तथा सेवाओं की शर्तें– समिति का सचिव मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम निर्देषित किये गये सेवारत अतिरिक्त रजिस्ट्रार होंगे।

10. समिति के सचिव की शक्तियाँ एवं कार्य– (1) सचिव समिति का प्रधान अधिकारी होगा और समिति के निपटारे पर सभी आस्तियाँ, लेखों, अभिलेखों एवं निधियों का अभिरक्षक होगा।

(2) सचिव समिति के निधियों की रसीदों संवितरणों के सत्य एवं उचित लेखा एवं अन्य सभी आवष्यक अभिलेखों को रखेगा।

(3) सचिव अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से समिति की बैठकें बुलायेगा और बैठकों में भी हाजिर होगा तथा बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत के सत्य एवं सही अभिलेख को रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(4) समिति के सभी आदेषों एवं विनिष्चयों को समिति के सचिव द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

11. समिति की बैठकें– (1) समिति ऐसे समय एवं स्थान और ऐसी तारीख पर तीन महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष निर्दिष्ट करे।

(2) कार्यवृत्त समिति सदस्यों द्वारा सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुला होगा।

(3) कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि बैठकों के पष्चात् राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष को यथासंभव शीघ्रता से प्रस्तुत की जायेगी।

(4) बैठक हेतु गणपूर्ति अध्यक्ष को सम्मिलित कर तीन होगी।

(5) वे सभी प्रष्न जो समिति की किसी बैठक के पूर्व आये, हाजिर सदस्यों के मतों के बहुमत तथा मतदान द्वारा किया जायेगा और बराबरी के मामले में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा।

12. समिति की निधियाँ, लेखा परीक्षा एवं लेखा– (1) समिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति निधि कही जाने वाली एक निधि का संधारित करेगी जिसमें जमा की जायेगी–

(क) ऐसी रकम जो आबंटित की जाय और राज्य प्राधिकरण द्वारा इसको मंजूर की जाय।

(ख) सभी ऐसी रकमें जिन्हें दान के रूप में समिति द्वारा प्राप्त किया जाय।

(ग) सभी ऐसी रकमें जिन्हें लागतों, प्रभारों एवं खर्चों के रूप में उन व्यक्तियों से जिन्हें विधिक सेवा प्रदान की जाती है या विरोधी पक्षकार से वसूला जाय।

(2) कथित निधि में जमा की गयी सभी रकमें एक राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी।

स्पष्टीकरण– इस उप–विनियम में राष्ट्रीयकृत बैंक बैंककारी कम्पनी (वचनबंध का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में यथापरिभाषित एक तत्स्थानी नवीन बैंक से अभिप्रेत है।

(3) बैठक की प्रयोजनार्थ अनुषांगिक लघु प्रभारों, इस प्रकर जैसे न्यायालय फीस स्टाम्पों और दस्तावेजों इत्यादि की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने के लिए आवष्यक खर्च हेतु दो हजार पाँच सौ रूपये समिति के सचिव के व्ययन पर रखे जायेंगे।

(4) समिति के विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने के लिए आवष्यक खर्चे के रूप में भी समिति की विधिक सेवा, आवास सुविधा तथा कर्मचारिवृन्द पर सम्पूर्ण खर्च अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से समिति की निधियों में से उपगत किया जायेगा।

(5) समिति की निधियों का उपयोग विधिक सेवा सम्बन्धी क्रियाकलापों के संगत समिति के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या सचिव द्वारा की गई यात्राओं पर या उनके अनुषांगिक उपगत किये गये खर्चों की पूर्ति के लिए किया जायेगा। अध्यक्ष, पदेन सदस्यों एवं सचिव को यात्रा भत्ते एवं मंहगाई भत्ते उसके बारे में ऐसे होंगे जिसके वे उनके क्रमषः पदों के आधार पर हकदार है।

(6) समिति का सचिव अध्यक्ष के निर्देषों के अनुसार समिति का बैंक खाता चालू रखेगा,

(7) समिति सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों का सत्य एवं सही लेखा संधारित करेगी एवं उन्हें बनाये रखेगी और राज्य प्राधिकरण को तिमाही प्रस्तुत करेगी।

(8) समिति के लेखा की संपरीक्षा अर्हित लेखा संपरीक्षक द्वारा वार्षिक तौर पर करवायी जायेगी तथा उसको राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा।

5 समिति द्वारा विधिक सेवाएँ

13. विधिक सेवा हेतु आवेदन पत्र– (1) उच्च न्यायालय में कोई कार्यवाही लाने हेतु अथवा उसकी प्रतिरक्षा करने हेतु विधिक सेवा की अपेक्षा इच्छा करने वाला कोई भी व्यक्ति सचिव को प्रारूप–I में एक शपथपत्र के साथ में या उसके बिना एक लिखित आवेदनपत्र प्रस्तुत करेगा। यदि आवेदक अषिक्षित है या हस्ताक्षर करने की दषा में नहीं है तो समिति का सचिव या एक अधिकारी उसके मौखिक निवेदनों को अभिलिखित करेगा और अभिलेख पर उसके अंगूठे का निषान प्राप्त करेगा और ऐसे अभिलेख को उसके आवेदनपत्र के रूप में व्यवहृत किया जायेगा।

(2) समिति आवेदन पत्रों का एक रजिस्टर रखेगी जिसमें विधिक सेवा के लिए प्रविष्टियाँ की जायेगी और वह तारीख के अनुसार रजिस्ट्रीकृत की जायेगी और ऐसे आवेदनपत्रों पर की गयी कार्यवाहियाँ ऐसे आवेदन पत्रों से संबन्धित प्रविष्टि नोट की जायेगी।

14. आवेदन पत्रों का निपटाया जाना– (1) विनियमन 11 के अधीन विधिक सेवा हेतु किसी भी आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, सचिव अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार आवेदक की पात्रता का सर्वप्रथम परीक्षण करेगा, एवं अवधारण करेगा या उसका परीक्षण करवायेगा।

(2) यदि आवेदक पात्रता मानदण्ड का समाधान कर देता है तो सचिव उसके आवेदनपत्र के गुणागुण पर परीक्षण करने की कार्यवाही करेगा यदि आवेदक अपने आवेदनपत्र में गुणागुण रखता है तो सचिव विधिक सेवा के ढंग का विनिष्चय करने की कार्यवाही करेगा।

(3) किसी भी मामले में विधिक सेवा की मंजूरी के लिए आवेदनपत्र यदि इसको गुणागुण रखने वाला नहीं पाया जाता है तो वह सचिव द्वारा कारण जो लेखबद्ध किये जायेंगे, से नामंजूर किया जा सकेगा।

(4) विधिक सेवा की मंजूरी के लिए इन्कार के मामले में सचिव ऐसे इन्कारी को लिखित में आवेदक को सूचित करेगा।

(5) आवेदक जिसका विधिक सेवा की मंजूरी हेतु आवेदनपत्र नामंजूर कर दिया गया है, विनिष्चय हेतु अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।

15. विधिक सेवा के ढंग– समिति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अन्तर्गत निम्न लिखित एक या अधिक हो सकेगी–

(क) किसी भी विधिक कार्यवाही के संगत न्यायालय फीस का संदाय, संदेय या उपगत की गयी आदेषिका तथा सभी अन्य प्रभार,

(ख) किसी भी विधिक कार्यवाहियों में प्रारूप बनाने, तैयार करने तथा दाखिल करने तथा एक विधिक कार्यवाही में विधि व्यवसायी द्वारा अभ्यावेदन,

(ग) विधिक कार्यवाहियों में निर्णयों, आदेषों एवं अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्राप्त करने तथा उनकी पूर्ति करने की लागत,

(घ) विधिक कार्यवाहियों में (कागज, दस्तावेजों के अनुवाद एवं मुद्रण को सम्मिलित कर) कागज पुस्तिका की लागत एवं उसके अनुषांगिक खर्चे,

16. विधिक सेवाओं का कतिपय मामलों में न प्रदान किया जाना अर्थात्–

(1) निम्न के बाबत पूर्णतया या अंषतः कार्यवाहियाँ–

(क) मानहानि, या

(ख) विद्वेषपूर्ण अभियोजन, या

(ग) कार्यवाहियों की अवमानना से आरोपित किया गया व्यक्ति, और

(घ) शपथ पर मिथ्या साक्ष्य,

(2) किसी निर्वाचन से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ,

(3) उप–विनियमनों (1) एवं (2) में निर्देषित की गयी किन्हीं कार्यवाहियों की आनुषांगिक कार्यवाहियाँ

(4) उन अपराधों की बाबत कार्यवाहियाँ जहॉ अधिरोपित किया गया जुर्माना 50/- रूपये से अधिक नहीं है।

(5) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के रूप में इस प्रकार आर्थिक अपराधों की बाबत तथा सामाजिक विधियों के विरूद्ध कार्यवाहियाँ जब तक ऐसे मामलों में सहायता पीड़ित या आहत द्वारा नहीं चाही जाती है,

परन्तु इसके बावजूद अध्यक्ष किसी भी समुचित मामले की ऐसी कार्यवाहियों में विधिक सेवाएं मंजूर कर सकेगा।

(6) **जहाँ विधिक सेवा की माँग करने वाला कोई व्यक्ति–**

(क) एक प्रतिनिधि या शासकीय हैसियत या सामर्थ्य से मात्र कार्यवाहियों से सम्बन्धित है, या

(ख) यदि कार्यवाहियों का एक औपचारिक पक्षकार कार्यवाहियों के परिणाम से तात्विक तौर पर सम्बन्धित नहीं होता है और उस पर उचित अभ्यावेदन के अभाव के कारण प्रतिकूल प्रभाव डाले जाने की संभावना नहीं होती है।

17. विधिक सेवाएं कतिपय मामलों में मंजूर की जा सकेगी– साधनों व परीक्षण पर विचार किये बिना विधिक सेवा प्रदान की जा सकेगी–

(क) बड़े सार्वजनिक महत्वपूर्ण मामलों में, या

(ख) विषेष मामलों में वे कारण जिनकी वजह से उसे लेखबद्ध किया जायेगा जिसे विधिक सेवा के अन्यथा योग्य होना विचार किया जाता है।

18. विधिक सेवा अधिवक्तागण तथा मानदेय–(1) विधिक सेवा अधिवक्ताओं का एक पैनल मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा तैयार की जायेगी। कोई भी व्यक्ति जिसका विधि व्यवसाय (पांच वर्ष) से कम का है, पैनल में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(2) विधिक सेवा अधिवक्ता को ऐसे मानदेय का संदाय किया जायेगा जिसे इस विनियमन के साथ उपाबद्ध की गयी अनुसूची के अनुसार समिति द्वारा नियत किया जा सकेगा।

(3) कोई विधिक सेवा अधिवक्ता जिसको कोई मामला या तो विधिक सलाह के लिए तथा विधिक सेवा के समनुदेषित किया जाता है , कोई भी फीस या पारिश्रमिक नहीं प्राप्त करेगा चाहे नकद या वस्तु रूप में या किसी अन्य लाभ धनीय या अन्यथा सहायता प्राप्त व्यक्ति से या उसके निमित्त किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं प्राप्त करेगा। तथापि कार्यपालक अध्यक्ष इस अधिकार को आरक्षित कर देगा जिसे उस दषा में, कोई विधिक सेवा अधिवक्ता सहायता प्राप्त व्यक्ति से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है तब वह, स्वयं का समाधान करने के पष्चात् उससे मामले को वापस ले सकता है और सम्यक अवसर उसको प्रदान करने के पष्चात् पैनल से उसके नाम को रद्द कर सकता है।

(4) विधिक सेवा अधिवक्ता जिसने उसके समनुदेषन को पूरा कर लिया है, सचिव या समिति को, सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से उसके द्वारा संचालित की गयी विधिक कार्यवाहियों के संगत किये गये कार्य की रिपोर्ट के साथ उसको सम्यक मानदेय दर्षाने वाला एक कथन प्रस्तुत करेगा जो, सम्यक संवीक्षा के पष्चात् उसको संदेय फीस एवं खर्चे की मंजूरी प्रदान कर देगा। यह तथापि विधिक सेवा अधिवक्ता मुक्त होगा कि वह पूर्णतया या अंषतः मानदेय का त्यजन कर दे। विधिक सेवा अधिवक्ता को संदेय मात्रा पर किसी विवाद के मामले में मामला विनिष्चय हेतु अध्यक्ष के समक्ष रखा जायेगा जिसमें उनका विनिष्चय अंतिम होगा, तथापि सचिव ऐसे विधिक सहायता अधिवक्ता द्वारा उपगत किये गये मानदेय एवं खर्चों का अन्तरिम संदाय कर सकेगा।

19. सहायता प्राप्त व्यक्ति के कर्तव्य—(1) विधिक सेवा की मांग करने वाला एक व्यक्ति तब तक विधिक सेवाओं के लिए आवेदनपत्र की तारीख से समिति के सचिव या इसके सदस्यों में से किसी भी के द्वारा उसको दिये गये निर्देष या उस तारीख पर प्रस्तुत की गयी किसी भी अपेक्षा का अनुपालन करेगा जब तक वह उसको प्रदान की विधिक सेवा का उपयोग करता है।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति एक वचनबन्ध सहित प्रारूप–II में यह घोषणा करेगा कि उसको लगतो या सभी लागतों, प्रभारों एवं खर्चों की प्रतिपूर्ति समिति को प्रतिपूर्ति के रूप में पुनः संदाय करने के लिए अन्य धनीय प्रसुविधा या लाभ का अधिनिर्णय करने वाली उसके पक्ष में डिक्री या आदेष को पारित करने वाले न्यायालय की दषा में, वह समिति के सचिव को प्राधिकृत करेगा। इस प्रकार वसूली गयी लागतों, प्रभारों एवं खर्चों को समिति की निधि में जमा कर दिया जायेगा।

(3) प्रत्येक सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसका विधिक प्रतिनिधि समिति के कार्यालय में हाजिर होगा जब कभी उसको विधिक सेवा प्रदान करने वाली समिति या विधिक सेवा अधिवक्ता द्वारा

अपेक्षा की जाय और पूर्ण एवं सत्य सूचना देगा और सम्बन्धित विधिक सेवा अधिवक्ता को पूर्ण प्रकटीकरण करेगा तथा न्यायालय में, अपने स्वयं के खर्च पर, हाजिर होगा जब कभी भी अपेक्षा की जाय।

20. विधिक सेवाओं को वापस लेना—(1) समिति या तो स्वप्रेरणा से या अन्यथा निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी सहायता प्रदत्त व्यक्ति को मंजूर की गयी विधिक सेवा को वापस ले सकेगी, अर्थात् :—

(क) यह इस दषा में पाया जाने पर कि सहायता प्राप्त व्यक्ति के कब्जे में पर्याप्त साधन थे या यह कि उसने दुर्व्यपदेषन या कपट द्वारा विधिक सेवा प्राप्त की थी,

(ख) सहायता प्राप्त व्यक्ति की परिस्थितियों में किसी तात्विक परिवर्तन हो जाने की दषा में,

(ग) न्यायालय में विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति या प्राप्त करने वाले की ओर से कोई दुराचरण, उपापराध या उपेक्षा होने की दषा में,

(घ) समिति या समिति द्वारा समनुदेषित किये गये विधिक सेवा अधिवक्ता के साथ सहयोग न करने वाले सहायता प्राप्त व्यक्ति की दषा में,

(ड.) समिति द्वारा समनुदेषित किये गये विधि व्यवसायी से भिन्न को नियोजित करने वाले सहायता प्राप्त व्यक्ति की दषा में,

(च) सिविल कार्यवाहियों के मामले के सिवाय, सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु की दषा में वहाँ अधिकार दायित्व बचा रहता है,

(छ) विधिक सेवा हेतु आवेदनपत्र या प्रष्नगत मामले को विधि या विधिक सेवा की आदेषिका का दुरूपयोग होना पाये जाने की दषा में,

परन्तु ऐसी विधिक सेवा तब तक जबकि इस बारे में कारण दर्षाने के लिए सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसकी मृत्य की दषा में उसके विधिक प्रतिनिधियों को यह सम्यक नोटिस दिये बिना कि क्यों न विधिक सेवा वापस ली जावे, वापस नहीं ली जायेगी।

परन्तु आगे खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवा वापसी हेतु सूचना आवष्यक नहीं होगी।

(ज) संबंधित न्यायालय की सिफारिष पर जहाँ मामला लंबित है।

(2) जहाँ विधिक सेवाएं उपर विनियमन खण्ड (क) में उपवर्णित आधारों पर वापस ले ली जाती है वहाँ जिला प्राधिकरण उसको मंजूर की गयी विधिक सहायता की रकम सहायता प्राप्त व्यक्ति से वसूलने का हकदार होगा।

अध्याय V

1.साधारण

21. जिला प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि तथा उससे सम्बन्धित अन्य शर्तें–

(1) पदेन सदस्य से भिन्न जिला प्राधिकरण के सदस्य की पदावधि दो वर्ष होगी–

परन्तु यह तब जबकि सदस्य एक और अधिक अवधि के लिए नाम निर्देषन का पात्र होगा।

(2) (क) (i) नियम 1 के उपनियम (3) के अधीन नाम निर्देषित किया गया जिला प्राधिकरण का सदस्य राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा यदि राज्य सरकार के मत में वह सदस्य के रूप में बने रहने हेतु वांछनीय नहीं है।

(ii) सदस्य जिला प्राधिकरण को सम्बोधित किया गया उसके हस्ताक्षर के अधीन जिला प्राधिकरण से त्यागपत्र दे सकेगा और उस तारीख पर प्रभावी होगा जिस पर इसको अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(ख) जिला प्राधिकरण के सदस्य के कार्यालय में कोई रिक्ति उसी रीति से भरी जा सकेगी जैसे नाम निर्देषन तथा इस प्रकार नाम निर्देषित किये गये व्यक्ति हेतु उपबन्धित है,

(3) (क) नियम 13 के उपनियम (3) के अधीन नाम निर्देषित किये गये सभी सदस्यगण जिला प्राधिकरण के कार्य के संगत की गयी यात्राओं की बाबत यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों के संदाय के हकदार होंगे और उन्हें उन नियमों के अनुसार जिला प्राधिकरण द्वारा संदाय किया जायेगा जो राज्य सरकार के श्रेणी "बी" के अधिकारियों पर लागू होते हैं।

(ख) सभी सदस्य अवैतनिक रूप में कार्य करेंगे।

(4) सभी सदस्य जो सेवारत होने वाले सरकारी अधिकारीगण या कर्मचारीगण होते हैं, उन पर लागू, नियमों के उपबन्धों के अनुसार जिला प्राधिकरण के कार्य के संगत की गयी यात्राओं की बाबत यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे और उन्हें उस कार्यालय से संदाय किया जायेगा जहाँ सम्बन्धित सदस्यगण अपना वेतन एवं भत्ते प्राप्त कर रहे होंगे और इस लेखे पर खर्च बजट शीर्ष पर विकलन किया जायेगा जिसमें उनके वेतन एवं भत्तों का विकलन किया जायेगा।

22. जिला प्राधिकरण के अन्य कार्य– जिला प्राधिकरण धारा 10 में विनिर्दिष्ट कार्यों के अलावा अर्थात्–

(क) उन व्यक्तियों को जिले के अन्दर विधिक सहायता देना,

(ख) जिले के अंदर निवारक तथा युक्ति पूर्ण विधिक सहायता कार्यक्रमों की जिम्मेदारी लेना,

(ग) विधिक सेवा कार्यक्रमों का प्रषासन तथा कार्यान्वित करना जहाँ तक इसका सम्बन्ध जिले के अंदर न्यायालयों से होता है और इस प्रयोजनार्थ सभी ऐसी कार्यवाहियाँ करना जो आवष्यक हो तथा समय समय पर केन्द्रीय प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देषों के अनुसार कार्य करना,

(घ) विधिक सेवाओं के लिए आवेदनपत्रों को प्राप्त करना तथा उनकी संवीक्षा करना तथा विधिक सहायता सेवा की मंजूरी या वापस लेने के बारे में सभी प्रष्नों का विनिष्चय करना,(ड.) मानदेय, लागतों, खर्चों, प्रभारों तथा अधिवक्ताओं की विधिक सेवाओं के खर्चों के संदाय से सम्बन्धित सभी मामलों का विनिष्चय करना और,

(च) विधिक सेवा कार्यक्रमों के बारे में रिपोर्टों, सांख्यिकीय सूचना एवं विवरणी तैयार करना तथा राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करना।

23. जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्य – (1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण के कार्यक्रमों के प्रषासन और कार्यान्वयन तथा जिला प्राधिकरण का समस्त भारसाधक होगा।

(2) अध्यक्ष तीन माह की कालावधि में कम से कम एक बार जिला प्राधिकरण के सचिव के माध्यम से जिला प्राधिकरण की बैठकें बुलायेगा।

(3) अध्यक्ष समिति की सभी अवषिष्ट शक्तियाँ रखेगा।

24. जिला प्राधिकरण के सचिव के पदावधि तथा उससे सम्बन्धित शर्तें – जिला प्राधिकरण का सचिव 3 वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा।

25. जिला प्राधिकरण के सचिव के कार्य एवं शक्तियाँ – (1) सचिव जिला प्राधिकरण का प्रधान अधिकारी होगा और राज्य प्राधिकरण के व्ययन पर सभी आस्तियों, लेखाओं, अभिलेखों एवं निधियों तथा अन्य सभी आवष्यक अभिलेखों का अभिरक्षक होगा।

(2) सचिव जिला प्राधिकरण की प्राप्तियों एवं सम्वितरणों का सत्य एवं उचित लेखाओं को रखेगा या रखवायेगा।

(3) सचिव जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के साथ जिला प्राधिकरण की बैठकें बुलायेगा और बैठकों में भी हाजिर होगा और बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्त का एक अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

26. जिला प्राधिकरण की बैठक – (1) जिला प्राधिकरण ऐसी तारीखों पर तथा ऐसे स्थान पर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा जैसे जिला प्राधिकरण निर्देषित करें।

(2) कार्यवृत्त जिला प्राकिरण के अध्यक्ष को बैठक के पष्चात् यथाषीघ्र अग्रेषित कर दिया जायेगा।

(3) बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष को सम्मिलित कर तीन होगी।

(4) सभी प्रष्न जो जिला प्राधिकरण के किसी बैठक के समक्ष आये, हाजिर सदस्यों के मतों के बहुमत तथा मतदान करने के द्वारा विनिष्चय किया जायेगा और बराबरी के मामले में, अध्यक्ष के पास भी एक निर्णायक मत होगा।

27. जिला प्राधिकरण की निधियाँ – (1) जिला प्राधिकरण जिला विधिक सहायता निधि कही जाने वाली एक निधि रखेगा जिसमें जमा की जायेगी–

(क) ऐसी रकमें जिन्हें राज्य प्राधिकरण द्वारा इसको आबंटित किया जा सकेगा और मंजूर किया जा सकेगा,

(ख) सभी ऐसी रकमें जिसे दानों के माध्यम से जिला प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया गया हो,

(ग) सभी ऐसी रकमें जिसे उस व्यक्ति से वसूली गयी लागतों, प्रभारों एवं खर्चों के रूप में प्राप्त किया जाय जिसको विधिक सेवा प्रदान की जाती है या विरोधी पक्षकार,

(2) जिला विधिक सहायता निधि में जमा की गयी सम्पूर्ण रकम एक राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जावेगी।

स्पष्टीकरण–इस उपविनियमन में "राष्ट्रीयकृत बैंक" बैंककारी कम्पनी (वचनबंधों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंककारी कम्पनी (वचनबंधों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में यथा परिभाषित तत्स्थानी नवीन बैंक से अभिप्रेत है।

(3) बैठकों के प्रयोजनार्थ दस्तावेजों इत्यादि की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने न्यायालय फीस स्टाम्प्स के रूप में ऐसे अनुषांगिक लघु प्रभारों के रूप में दो हजार रूपये का एक स्थायी अग्रिम धनराषि जिला प्राधिकरण के सचिव के व्ययन पर रखी जायेगी।

(4) जिला प्राधिकरण विभिन्न कार्यों का सम्पादन करने के लिए आवष्यक खर्चे के रूप में भी जिला प्राधिकरण की विधिक सेवाएं, आवास–सुविधा एवं कर्मचारिवृन्द पर सम्पूर्ण खर्चों को जिला प्राधिकरण की निधियों में से उपगत किया जायेगा और वह जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के अनुसार होगा।

(5) जिला प्राधिकरण की निधियों का उपयोग विधिक सेवा सम्बन्धी क्रियाकलापों के संगत जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या सचिव द्वारा की गयी यात्राओं पर या उनकी अनुषांगिक पर उपगत किये गये खर्चों बाबत् किया जायेगा। अध्यक्ष, पदेन सदस्यों एवं सचिव को संदेय यात्रा भत्ते एवं मंहगाई भत्ते ऐसे होंगे कि जिसके वे क्रमषः धारण किये गये पदों के आधार पर होंगे।

(6) सचिव अध्यक्ष के निर्देषों के अनुसार जिला प्राधिकरण के बैंक खाते को चालू रखेगा।

(7) जिला प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण से प्राप्तियों एवं संवितरणों का सत्य एवं सही लेखा संधारित करेगा एवं उन्हें बनाये रखेगा और राज्य प्राधिकरण को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

2. जिला प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवाएँ

28. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन पत्र – (1) जिला के अन्दर एक न्यायालय में कोई कार्यवाही लाने के लिए या उसकी प्रतिरक्षा करने के लिए विधिक सेवा चाहने वाला कोई भी व्यक्ति सचिव को प्रारूप–। में शपथपत्र के साथ में या उसके बिना लिखित रूप में आवेदनपत्र प्रस्तुत करेगा। तथापि यदि आवेदक निरक्षर है या हस्ताक्षर करने की दषा में नहीं है तो सचिव उसके मौखिक निवेदनों पर हस्ताक्षर करेगा और अभिलेख पर उसके अंगूठे का निषान प्राप्त करेगा ऐसे अभिलेख को उसके आवेदनपत्र के रूप में संव्यवहृत किया जायेगा।

(2) जिला प्राधिकरण आवेदन पत्र का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें विधिक सेवा के लिए सभी आवेदन पत्रों को प्रविष्ट करवायेगा और तारीख के अनुसार रजिस्ट्रीकृत करवायेगा तथा ऐसे आवेदनपत्रों पर की गयी कार्यवाहियाँ ऐसे आवेदनपत्रों से संबंधित प्रविष्टि के सामने नोट की जायेगी।

29. आवेदनपत्रों का निपटारा करना – (1) विनियमन 28 के अधीन विधिक सेवा हेतु आवेदनपत्रों की प्राप्ति पर सचिव अधिनियम तथा नियमों के अनुसार आवेदक की पात्रता का सर्वप्रथम परीक्षण करेगा और अवधारण करेगा या परीक्षा करवायेगा और अवधारण करवायेगा।

(2) यदि आवेदक पात्रता मापदण्ड का समाधान कर देता है तो सचिव उसके आवेदनपत्र के गुणागुण की परीक्षा करने के लिए कार्यवाही करेगा और यदि आवेदक अपने आवेदनपत्र में गुणागुण रखता है तो सचिव विधिक सेवा के ढंग का विनिष्चय करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(3) किसी मामले में विधिक सेवा की मंजूरी हेतु आवेदनपत्र यदि इसको उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो सचिव द्वारा ऐसे कारण जो लेखबद्ध किये जायेंगे, से नामंजूर किया जा सकेगा।

(4) विधिक सेवाओं की मंजूरी के लिए इन्कार के मामले में सचिव ऐसे इन्कारी की लिखित रूप में आवेदक को सूचित करेगा।

(5) आवेदक जिसका विधिक सेवाओं की मंजूरी के लिए आवेदनपत्र खारिज किया जा चुका है, विनिष्चय के लिए जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।

30. विधिक सेवाओं के ढंग – जिला प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली विधिक सेवा में निम्नलिखित में से एक या अधिक सम्मिलित हो सकेगी–

(क) किसी विधिक प्रक्रिया के संगत संदेय या उपगत किये गये कोर्ट फीस, आदेषिका फीस तथा अन्य सभी आरोपों को संदाय,

(ख) किसी विधिक कार्यवाही का प्रारूप तैयार करने, तैयारी करने और दाखिल करने तथा विधिक कार्यवाहियों में विधि व्यवसायी द्वारा अभ्यावेदन के लिए प्रभारों,

(ग) विधिक कार्यवाहियों में निर्णयों, आदेषों एवं मूल दस्तावेजों को प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्राप्त करने तथा उसकी पूर्ति के लिए लागत,

(घ) विधिक कार्यवाही में अनुवाद की लागत तथा उसके अनुषांगिक खर्चे,

31. विधिक सेवाओं का कतिपय मामलों में न प्रदान किया जाना – विधिक सेवाएं निम्निलिखित मामलों में नहीं प्रदान की जायेगी, अर्थात्–

(1) पूर्णतः या अंषतः कार्यवाहियों बाबत–

(क) मानहानि, या

(ख) विद्वेषपूर्ण अभियोजन, या

(ग) न्यायालय कार्यवाहियों की अवमानना से आरोपित किया गया एक व्यक्ति,

(घ) शपथ पर मिथ्या साक्ष्य,

(2) किसी निर्वाचन से संबंधित कार्यवाहियाँ,

(3) उप–नियमों (1) एवम् (2) में निर्देषित की गयी किन्हीं कार्यवाहियों की अनुषांगिक कार्यवाहियाँ,

(4) उन अपराधों के बाबत कार्यवाहियाँ जहाँ अधिरोपित किया गया जुर्माना 50/- रूपये से अधिक नहीं है।

(5) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के रूप में ऐसी सामाजिक विधियों के विरूद्ध अपराधों तथा आर्थिक अपराधों की बाबत कार्यवाहियाँ जब तक ऐसे मामलों में सहायता पीड़ित या आहत द्वारा नहीं चाही जाती है, परन्तु यह तब जबकि अध्यक्ष समुचित मामलों में, ऐसी कार्यवाहियों में भी विधिक सेवाएं मंजूर कर सकेगा।

(6) जहाँ विधिक सेवाओं की मांग करने वाला व्यक्ति–

(क) प्रतिनिधि या शासकीय रूप में मात्र कार्यवाहियों से सम्बन्धित है, या

(ख) कार्यवाहियों के परिणाम से तात्विक रूप में न सम्बन्धित होने वाली कार्यवाहियों का एक औपचारिक पक्षकार है और उसके हितों पर उचित अभ्यावेदन के अभाव के कारण प्रतिकूल प्रभाव डाला जाने की संभावना नहीं होती है।

32. विधिक सेवाएं कतिपय मामलों में मंजूर की जा सकेगी– साधनों, परीक्षण पर विचार किये गये बिना विधिक सेवाएं प्रदान की जा सकती है–

(क) बड़े महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामलों में, या

(ख) विषेष मामले में उन कारणों को जो लेखबद्ध किये जायेंगे जिसमें विधिक सेवा की अन्यथा योग्यता रखते हुए विचार किया जाता है।

33. विधिक सेवा अधिवक्तागण तथा संदेय मानदेय – (1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के परामर्ष से विधिक सेवा अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करेगा, कोई व्यक्ति जिसका विधि व्यवसाय (पांच वर्षों) से कम है, पैनल में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। तालुक के लिए, जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष तालुक समिति के अध्यक्ष के साथ परामर्ष से अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करेगा, कोई व्यक्ति जिसका विधि व्यवसाय (पांच वर्षों) से कम का है, पैनल में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(2) विधिक सेवा अधिवक्ता को ऐसा मानदेय संदाय किया जायेगा जिसे इस विनियमन के साथ उपाबद्ध की गयी अनुसूची राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किये मार्गदर्षक सिद्धान्त के अनुसार जिला प्राधिकरण द्वारा नियम किया जा सकेगा।

(3) कोई विधिक सेवा अधिवक्ता जिसको कोई मामला या तो विधिक सहायता के लिए या विधिक सेवा के लिए समनुदेषित की जाती है, कोई भी फीस या पारिश्रमिक चाहे नकद या वस्तु रूप में या किसी अन्य धनीय लाभ या अन्यथा रूप में, सहायता प्राप्त व्यक्ति से या उस निमित किसी भी अन्य व्यक्ति से प्राप्त नहीं करेगा। तथापि, कार्यपालक अध्यक्ष इस अधिकार को आरक्षित करेगा कि कोई विधिक सेवा अधिवक्ता सहायता प्राप्त व्यक्ति से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता हो तो स्वयं का यह समाधान कर दिया जाने पर वह उससे मामले को वापस ले सकता है और सम्यक अवसर उसको देने के पष्चात् पैनल से उसके नाम को रद्द कर सकता है।

(4) विधिक सेवा अधिवक्ता जिसने समनुदेषन पूरा कर लिया है, जिला प्राधिकरण के सचिव को सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से उसके द्वारा संचालित की गयी विधिक कार्यवाहियों के संगत किये गये कार्य की रिपोर्ट के साथ में उसको संदेय मानदेय को प्रदर्षित करने वाला कथन प्रस्तुत करेगा जो सम्यक संवीक्षा के पष्चात् उसको संदेय फीस एवं खर्चों को मंजूर

करेगा। तथापि यह विधिक सेवा अधिवक्ता के लिए खुला होगा कि वह पूर्णतया या अंषतः मानदेय का त्यजन कर दे। विधिक सेवा अधिवक्ता को संदेय मात्रा पर किसी विवाद के मामले में मामले को विनिष्चय हेतु जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष रखा जायेगा। तथापि सचिव ऐसे विधिक सेवा अधिवक्ता द्वारा उपगत किये गये खर्चे एवं मानदेय का अन्तरिम संदाय कर सकेगा।

34. सहायता प्राप्त व्यक्ति के कर्तव्य – (1) विधिक सहायता की मांग करने वाला व्यक्ति उस तारीख से जिस पर विधिक सेवा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिला प्राधिकरण के सचिव या इसके सदस्यों में से किसी के द्वारा उसको उससे की गयी किसी अध्यपेक्षा या दिये निर्देषों का तब तक के लिए अनुपालन करेगा, जब तक वह उसको प्रदान की गयी विधिक सेवाओं का उपभोग करता है।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति विधिक सेवा उसको प्रदान करने में जिला प्राधिकरण द्वारा उपगत किये गये सभी लागतों, प्रभारों एवं खर्चों की जिला प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति के रूप में पुनः संदाय करने के लिए उसको लागतों या अन्य धनीय प्रसुविधाओं या लाभ का अधिनिर्णय करने वाली/वाले उसके पक्ष में एक डिक्री या आदेष पारित करने वाले न्यायालय की दषा में, उस प्रारूप ॥ में घोषणा सहित एक वचनबंध निष्पादित करेगा कि ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्रभावकारी बनाने के लिए वह जिला प्राधिकरण के सचिव को प्राधिकृत कर देगा।

(3) प्रत्येक सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि तब जिला प्राधिकरण के कार्यालय में हाजिर होगा जब कभी भी उसको विधिक सहायता प्रदान करने वाले जिला प्राधिकरण द्वारा या विधिक सेवा अधिवक्ता द्वारा अपेक्षा की जाय और यह पूर्ण एवं सत्य सूचना देगा और संबंधित विधिक सेवा अधिवक्ता को पूर्ण प्रकटीकरण प्रस्तुत करेगा तथा उस समय उस न्यायालय में अपने स्वयं के खर्चे पर हाजिर होगा जब कभी भी अपेक्षा की जाय।

35. तालुक समिति के सदस्यों की पदावधि तथा उससे सम्बन्धित अन्य शर्तें – (1) पदेन सदस्य से भिन्न तालुक समिति के सदस्य की पदावधि 2 वर्ष होगी।

परन्तु यह तब जबकि सदस्य एक से अधिक अवधि हेतु पुनः नामांकन का पात्र होगा।

(2) (क) (i) नियम 16 के उप–नियम (3) के अधीन नाम निर्देषित किया गया तालुक समिति का सदस्य राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा यदि राज्य सरकार की राय में वह सदस्य के रूप में बने रहने हेतु वांछनीय नहीं है।

(ii) सदस्य तालुक समिति के अध्यक्ष को सम्बोधित किये गये अपने हस्ताक्षर के अधीन लेख द्वारा तालुक समिति से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उसी तारीख से प्रभावकारी होगा जिस पर इसको अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(ख) तालुक समिति के पद में किसी भी रिक्ति को उसी रीति से भरा जा सकेगा जैसा नाम निर्देषन के लिए उपबन्ध किया गया हो और इस प्रकार से नाम निर्देषित किया गया व्यक्ति उस सदस्य की अवषिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसका नाम निर्देषन किया जाता है।

(3) (क) नियम 16 के उप–नियम (3) के अधीन नामांकित किये गये सभी सदस्यगण तालुक समिति के कार्य के संगत की गयी यात्राओं के सन्दर्भ में यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्तों के संदाय के हकदार होंगे और उन्हें समय–समय पर यथा संषोधित राज्य सरकार के "श्रेणी बी" अधिकारी पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार तालुक समिति द्वारा संदाय किया जायेगा।

(ख) सभी सदस्यगण अवैतनिक रूप में कार्य करेंगे।

(4) सभी सदस्य जो सेवारत सरकारी अधिकारीगण या कर्मचारीगण होते हैं, को उन पर लागू होने नियमों के उपबन्धों के अनुसार तालुक समिति के कार्य के संगत की गयी यात्राओं की बाबत यात्रा भत्तों एवं दैनिक भत्तों के संदाय के हकदार होंगे और उन्हें उस कार्यालय से संदाय किया जायेगा जहाँ सम्बन्धित सदस्यगण अपना वेतन एवं भत्ते तथा खर्चे प्राप्त कर रहे हों, ऐसे लेखे का विकलन उस बजट शीर्ष से किया जायेगा जिसमें उनके वेतन एवं भत्तों का विकलन किया जाता है।

36. विधिक सेवा को वापस लेना– जिला प्राधिकरण स्वप्रेरणा से या अन्यथा, निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी सहायता प्राप्त व्यक्ति को मंजूर की गयी विधिक सेवा को वापस ले सकता है, अर्थात्–

(क) यह पाया जाने की दषा में कि उसके कब्जे में पर्याप्त साधन थे या यह कि उसने विधिक सेवा दुर्व्यपदेषन या कपट द्वारा प्राप्त की थी,

(ख) सहायता प्राप्त व्यक्ति की परिस्थितियों में कोई तात्विक परिवर्तन हो जाने की दषा में,

(ग) विधिक सेवा प्राप्त करने के अनुक्रम में सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से किसी अवचार, उपापराध या उपेक्षा की दषा में,

(घ) जिला प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा उसको समनुदेषित की गयी विधिक सेवा अधिवक्ता के साथ सहयोग न करने वाले सहायता प्राप्त व्यक्ति की दषा में,

(ड.) जिला प्राधिकरण द्वारा समनुदेषित किये गये विधि व्यवसायी से भिन्न को नियोजित करने वाले सहायता प्राप्त व्यक्ति की दषा में,

(च) उन सिविल कार्यवाहियों के मामले के सिवाय जहाँ अधिकार या दायित्व उत्तरजीवी रहता है, सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु की दषा में,

(छ) विधिक सेवा या प्रष्नगत मामले के लिए आवेदनपत्र को विधि की या विधिक सेवा की आदेषिका के दुरूपयोग होना पाया जाने की दषा में,

परन्तु ऐसी विधिक सेवा तब तक जबकि इस बारे में कारण दर्षाने के लिए सहायता प्राप्त व्यक्ति या उसकी मृत्यु की दषा में उसके विधिक प्रतिनिधियों को यह सम्यक नोटिस दिये बिना कि क्यों न विधिक सेवा वापस ली जावे, वापस नहीं ली जायेगी।

परन्तु आगे खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवा वापसी हेतु सूचना आवष्यक नहीं होगी।

(ज) संबंधित न्यायालय की सिफारिष पर जहां मामला लंबित है।

(2) जहां विधिक सेवाएं उपर विनियमन खण्ड (क) में उपवर्णित आधारों पर वापस ले ली जाती है वहां जिला प्राधिकरण उसको मंजूर की गयी विधिक सहायता की रकम सहायता प्राप्त व्यक्ति से वसूलने का हकदार होगा।

37. संक्रमणकालीन शक्तियाँ– राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को ऐसी अत्यावष्यक/आपात कालीन स्थितियों को निपटाने की शक्ति होगी जो उत्पन्न हो या आवष्यक स्थिति बने।

38. यदि विनियमनों के निर्वचन में कोई परेषानी पैदा होती है तो मुख्य संरक्षक का विनिष्चय अंतिम होगा।

प्रारूप ।

[विनियम 13 का उप–विनियम (1) तथा विनियम 28 का उप–विनियम (1)]

शपथ–पत्र

मैं ..... लगभग उम्र ..... वर्ष पुत्र/पत्नी श्री .....निवासी .... एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञान करता हूँ, और कथन करता हूँ–

(क) मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य हूँ।

(ख) मैं मानवजाति में दुर्व्यापार करने से पीड़ित या एक भिखारी हूँ।

(ग) मैं विधिक सेवा का पात्र हूँ, क्योंकि मैं स्त्री/बालक हूँ।

(घ) मैं मानसिक रूप से बीमार या निर्योग्य व्यक्ति हूँ।

(ड.) मैं सामूहिक आपदा, जातिगत हिंसा, जाति सम्बन्धी अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक आपदा से पीड़ित होने के कारण अनर्ह अभाव की परिस्थितियों के अधीन एक व्यक्ति हूँ।

मैं एतद्द्वारा इस बात से सहमत हूँ कि न्यायालय के मुझे लागत या अन्य प्रसुविधा या लाभ का अधिनिर्णय करने वाली/वाले मेरे पक्ष में डिक्री या आदेष पारित करने की दषा में, मैं विधिक सेवाएं मुझे प्रदान करने में समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा उपगत किये गये सभी लागतों, प्रभार एवं खर्चे की समिति/जिला प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रतिसंदाय करूँगा। मैं एतद्द्वारा सभी ऐसे कार्यों एवं बातों को करने के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला प्राधिकरण के सचिव को भी प्राधिकृत कर देता हूँ जो मुझको संदाय किये जाने हेतु डिक्रीत या आदेषित की गयी रकम की वसूली या प्रत्युद्धरण करने के लिए तथा उपर वर्णित प्रयोजन हेतु प्रतिपूर्ति करने के लिए आवष्यक हो।

मैं एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे पक्ष में मंजूर की गयी डिक्री या दिये गये एक आदेष के अधीन किसी प्रसुविधा के मामले में, उच्च न्यायालय/न्यायालय को समिति/जिला प्राधिकरण को ऐसी रकम जोड़ देने की भी स्वतंत्रता होगी जो मुझे विधिक सेवा प्रदान करने में समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा संभवतः उपगत की जा चुकी है और इस बार में समिति/जिला प्राधिकरण को सत्य सूचना भी दूँगा।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरा मामला उच्च न्यायालय/न्यायालय में लोक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया जाय, यदि किसी भी प्रक्रम में यह समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा समझा जाता है कि मेरे मामले में सुलह या निपटारा लोक अदालत के जरिये किया जा सकता है।

प्रारूप II

[विनियम 19 के उप–विनियम (2) तथा विनियम 34 के उप–विनियम (2)]

घोषणा सहित वचनबन्ध

मैं ..... लगभग उम्र ..... वर्ष ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी ..... निम्नलिखित रूप में वचनबद्ध होता हूँ और घोषणा करता हूँ–

1. मैं उस किसी अध्यपेक्षा एवं घोषणा का अनुपालन करूँगा जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला प्राधिकरण के सचिव या उसके सदस्यों में से किसी के द्वारा की जाय।

2. मैं समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाले विधिक सेवा अधिवक्ता को अपने मामले के सभी तथ्यों की पूर्ण एवं सत्य सूचना दूँगा।

3. मैं..... उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़/न्यायालय ....में–

(क) ..... के निर्णय से अपील में

(ख) ..... के लिए रिट अधिकारिता में

(ग) ..... की प्रकृति में कार्यवाही करने तथा उससे प्रतिरक्षा करने के लिए जाना चाहता हूँ।

(उसे काट दें जो कुछ लागू न हो)

अनुसूची

भाग–I

नियोजित किये गये अधिवक्ता को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जा सकेगा। तथापि, यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि निम्नलिखित निर्देष संदेय फीस का अधिकथन करते है और समिति या प्राधिकरण को उपयुक्त मामलों में पारिश्रमिक कम कर देने की स्वच्छन्दता होगी।

(1) सिविल न्यायाधीष की किसी न्यायालय, सिविल न्यायाधीष वर्ग I की न्यायालय, अतिरिक्त कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार की न्यायालय में अनुषांगिक खर्च का अपवर्जन कर प्रति मामले {1600/– रूपये} अधिकतम संदेय फीस।

(2) जिला न्यायालय की किसी न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायाधीष, जिला कलेक्टर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन स्थापित की गयी जिला उपभोक्ता फोरम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन किये गये श्रम एवं औद्योगिक अधिकरण की किसी भी न्यायालय में अन्य अनुषांगिक खर्च का अपवर्जन कर प्रत्येक मामले में या प्रति मामला अधिकतम {2000/– रूपये}

(3) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन स्थापित राज्य उपभोक्ता आयोग राजस्व बोर्ड के न्यायालय में मामले के निपटाया जाने के पष्चात् अन्य अनुषांगिक खर्च का अपवर्जन कर प्रति मामला 2000/– रूपये अधिकतम संदेय फीस।

(4) उच्च न्यायालय स्तर पर मामले के निपटारा के पष्चात् अन्य अनुषांगिक खर्च का अपवर्जन कर संदेय फीस निम्नलिखित रूप में होगी–

(क)	रिट	2000/– रूपये प्रति मामला
(ख)	प्रकीर्ण	1500/– रूपये प्रति मामला
(ग)	सिविल पुनरीक्षण	1000/– रूपये प्रति मामला
(घ)	प्रथम अपील (सिविल)	4000/– रूपये प्रति मामला
(ड.)	द्वितीय अपील (सिविल एण्ड एल0पी0ए0)	4000/– रूपये प्रति मामला
(च)	प्रकीर्ण सिविल मामला	1500/– रूपये प्रति मामला

भाग ॥

वारण्ट मामलों, समन मामलों, सत्र मामलों, अपीलों तथा पुनरीक्षणों में अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से प्रतिरक्षा अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए फीस अनुसूची फीस निम्नलिखित रूप में होगा–

1.	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ उपखण्ड मजिस्ट्रेट की न्यायालयों के लिए संदेय	अन्य अनुषांगिक खर्च को अपवर्जित कर वारण्ट मामलों, समन मामलों एवं प्रति विरोधात्मक संक्षिप्त मामलों के लिए	

	अधिकम फीस	अधिकतम फीस {1500/— रूपये}	
2.	सत्र न्यायाधीष/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष/ए.डी.एम./डी. एम. के न्यायालयों के लिए संदेय अधिकतम फीस	(क) सेषन मामलों के लिए अधिकतम फीस {3000/— रूपये} (ख) दाण्डिक अपील मामलों के लिए अधिकतम फीस 1000/— रूपये। (ग) दाण्डिक पुनरीक्षण के लिए अधिकतम फीस 600/— रूपये। (घ) (अन्य अनुषांगिक खर्च का अपवर्जन कर)	
3.	उच्च न्यायालय स्तर पर संदेय अधिकतम फीस	(i) जमानत आवेदन पत्र	500/— रूपये प्रति मामला
		(ii) दोषमुक्ति के आदेष के विरूद्ध धारा 378 द0प्र0सं0 के अधीन दाण्डिक अपील	2000/— रूपये प्रति मामला
		(iii) मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध के विरूद्ध दाण्डिक अपील	4000/— रूपये प्रति मामला
,		(iv) अन्य अपराधों के लिए दोषसिद्ध के विरूद्ध दाण्डिक अपील	2000/— रूपये प्रति मामला
		(v) दाण्डिक पुनरीक्षण	1500/— रूपये प्रति मामला

भाग III

इन विनियमनों के अधीन पेनल अधिवक्ता को संदेय फीस निम्नलिखित दो किष्तों में संदाय की जायेगी–

1. फीस का 1/2, प्रथम सुनवाई के पष्चात् अधिवक्ता को नियोजित किया जाने पर संदेय,

2. शेष रहने वाली फीस, मामले की अंतिम सुनवाई के पष्चात् संदेय।

नोट—कारणों को समनुदेषित किये बिना अंषतः सुने गये या न सुने गये मामलों को छोड़ देने वाले अधिवक्तागण पारिश्रमिक के अपने अधिकार को खो देंगे।